

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-75/2022 (2022/183) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. लीलादेवी पत्नि मुकेश वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. प्रेमकंवर पत्नि देवकरण बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पर्वतसिंह पिता देवकरण बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भैरूसिंह पिता देवकरण बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हेमसिंह पिता देवकरण बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. कलसुम पिता टोडा मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. कालु पिता सलु मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. हनीफ मोहम्मद पिता टोडा मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. राजु लाल नायक-

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2013 रकबा 1.08 है0 भूमि खाता संख्या 738 पर दर्ज है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीया को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीया ने दिनांक 20.03.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 01.06.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा

कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थीया खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2013 रकबा 1.08 है 0 भूमि खाता संख्या 738 पर दर्ज है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बंधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(Signature)
28.06.22

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलेक्टर, रायपुर
रायपुर जिला, भीलवाड़ा
गयपुर, भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—75/2022 (2022/183) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. लीलादेवी पत्नि मुकेश वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. प्रेमकंवर पत्नि देवकरण बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पर्वतसिंह पिता देवकरण बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भैरूसिंह पिता देवकरण बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हेमसिंह पिता देवकरण बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. कलसुम पिता टोडा मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. कालु पिता सलु मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. हनीफ मोहम्मद पिता टोडा मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :- तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 28.06.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 2013 रकबा 1.08 है0 भूमि खाता संख्या 738 पर दर्ज है।

इस हेतु प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीया की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



28.06.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर जिला भीलवाड़ा